दिनांक- 09.08.2023

वाद पुकारा गया। वाद पर अभियुक्त सतेन्द्र, बलदेव शाह और गौर गुप्ता उपस्थित। अभियुक्ता पूजा कुमारी की हाजरी माफी केवल आज के लिये स्वीकार। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। विद्वान अभियोजन अधिकारी उपस्थित।

पत्रावली आज वास्ते साक्ष्य हेतु नियत है। अभियोजन की ओर से ना तो कोई साक्ष्य आज प्रस्तुत किया गया है और ना ही कोई साक्ष्य के संबंध में जारी आदेशिकाएँ न्यायालय को वापस प्राप्त हुई। पत्रावली के परिशीलन से विदित है कि प्रस्तुत वाद सन् 2018 से संबंधित है जो कि 5 वर्ष पुराना वाद है एवं प्राचीन पद्धति में शामिल है जिसका शीघ्र निस्तारण किया जाना माननीय शीर्ष न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राचीन वाद के संबंध में पारित दिशा-निर्देशों के आलोक में किया जाना आवश्यक है। पत्रावली पर अभियोजन के विरूद्ध 29.10.2018 को आरोप विरचित किया गया था। इसके उपरांत अभियोजन की ओर से भी अभी तक कुल 4 साक्षी परिक्षित कराये गये हैं। अभियोजन की ओर से प्रस्तुत वाद में आज साक्षी पेश ना होने के कारण प्रस्तुत वाद में आज की कार्यवाही अग्रसारित नहीं की जा सकी है जो कि अत्यन्त आपत्तिजनक है।

अतः अभियोजन को निर्देशित किया जाता है कि अभियोजन प्रस्तुत प्राचीन वाद के निस्तारण को प्राथमिकता में लेते हुये प्रस्तुत वाद मे प्रत्येक तिथि पर अपने साक्षीगण पेश करना सुनिश्चित करे। जिससे प्रस्तुत वाद की कार्यवाही अनावश्यक रूप से लंबित ना हो। यदि अभियोजन साक्षी प्रस्तुत नहीं करते हैं तो यह समझा जायेगा कि अभियोजन प्रस्तुत वाद के निस्तारण में कोई रूचि नहीं रखता है एवं ऐसी स्थिति में उक्त के संबंध में उनको जिला मजिस्ट्रेट गाजियाबाद को अवगत करा दिया जायेगा। अभियोजन गवाहान साक्षी एस०आई० प्रमोद कुमार, हैड कां० 126 रामपाल व रजनीश झा पूर्व आदेशानुसार दिनांक 23.08.2023 के लिये तलब हो।

सीमा सिंह
अपर सत्र न्यायाधीश
कोर्ट संख्या-17
गाजियाबाद।